शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–503 78–2–2013/53आई0टी0/2012

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र गुप्ता
विशेष सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव
राजस्व/ पंचायतीराज/ विकलांग कल्याण/ समाज कल्याण/ महिला एवं बाल विकास/ श्रम/ खाद्य एवं रसद/ नगर विकास विभाग/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त ज़िलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 04 अप्रैल, 2013

विषयः जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों से ई–डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु यूज़र चार्जेज़ के निर्धारण तथा उसके विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य अंश विभाजन एवं वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1527/78–2–2013–53आई.टी./2012, दिनांक 20 फरवरी, 2013 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों से ई–डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु आम नागरिकों से लिये जाने वाले यूज़र चार्जेज़ एवं उसके विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य अंश वितरण की व्यवस्था निर्धारित करते हुये इसे दिनांक 01.04.2013 से लागू करने के निर्देश दिये गये थे।

2. उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु–6 में शासकीय सेवाओं हेतु आम नागरिकों से लिये जाने वाले यूज़र चार्जेज़ तथा उसके विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य अंश विभाजन एवं वितरण के लिये प्रकिया निर्धारित की गई थी जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये अब उसे निम्नानुसार पुनर्निधारित किया जाता हैः–

(i) शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2013 के बिन्दु–6(i) की तालिका में निर्धारित, जन सेवा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्ज़ेक्शन हेतु लिया जाने वाला, कुल यूज़र चार्ज एवं उसमें विभिन्न स्टेकहोल्डर्स का अंश यथावत रहेगा तथा यह लोकवाणी केन्द्रों एवं जन सुविधा केन्द्रो (पायलेट ई–डिस्ट्रिक्ट्स के ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों) से प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं पर भी लागू होगा। यह यूज़र चार्ज इन केन्द्रों से वर्तमान में दी जा रही शासकीय सेवाओं तथा भविष्य में विभागों की सम्मिलित होने वाली नयी सेवाओं पर भी लागू होगा।

(ii) प्रत्येक स्टेकहोल्डर यथा सी.ई.जी., सर्विस सेन्टर एजेन्सीज़ (एस.सी.ए.), समस्त जनपदों की डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी एवं सेवा सम्बन्धी विभागाध्यक्षों के स्तर पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा में अपना एक बैंक खाता खोला जायेगा तथा उनका विवरण राज्य समन्वयक, सी.ई.जी. को पत्र एवं ई–मेल (ceglko.up@gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। लोकवाणी

केन्द्रों एवं जन सुविधा केन्द्रों से यूज़र चार्जेज़ के अंश वितरण हेतु इन केन्द्र संचालकों का भी अपना एक बैंक खाता होना आवश्यक है।

(iii) प्रत्येक विभाग अपने अंश की राशि में से अपने अधीन ईकाइयों/जनपदीय कार्यालयों के अंश को ट्रान्सफर करने हेतु इन ईकाइयों/कार्यालयों का भी बैंक खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं में खुलवाकर अपने स्तर से इन्टरनेट बैंकिंग अथवा अन्य किसी प्रकिया से धनराशि ट्रान्सफर कर सकते हैं।

(iv) विभागीय सेवाओं हेतु प्रत्येक दिन के हुये ट्रान्ज़ेक्शन्स की एम.आई.एस. रिपोर्ट्स सी.ई.जी., समस्त सम्बन्धित विभागों, समस्त जनपदों की डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी एवं एस.सी.ए. को पोर्टल से प्राप्त कराने के उद्देश्य से एन.आई.सी. द्वारा स्टेट पोर्टल/ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर समस्त सम्बन्धितों को लॉग–इन क्रेडेन्शियल्स उपलब्ध कराये जायेंगे।

(v) प्रत्येक सेवा के प्रत्येक ट्रान्ज़ेक्शन हेतु निर्धारित अंश के अनुसार प्रत्येक एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा अपने बैंक खाते से समस्त सम्बन्धित विभागों, समस्त जनपदों की डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी एवं सी.ई.जी. के कुल आगणित अंश को स्टेट पोर्टल/ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ई–पेमेन्ट गेटवे का उपयोग कर सी.ई.जी. के खाते में ट्रान्सफर किया जायेगा। उक्त धनराशि का ट्रान्सफर केवल इन्टरनेट बैंकिंग एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकेगा। एस.सी.ए. तथा नॉन पायलेट ई–डिस्ट्रिक्ट्स के लोकवाणी केन्द्र संचालकों द्वारा प्रतिदिन केन्द्रों पर सेवाओं हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि के विरूद्ध केवल स्टेट पोर्टल से अग्रिम (प्रि–पेड) व्यवस्थान्तर्गत धनराशि सी.ई.जी. के खाते में ट्रान्सफर की जायेगी। पायलेट ई–डिस्ट्रिक्ट्स के लोकवाणी केन्द्र एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों द्वारा स्टेट पोर्टल एवं ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से सेवायें देने हेतु उन पर उपलब्ध अपने लॉग–इन क्रेडेन्शियल्स के माध्यम से अग्रिम (प्रि–पेड) व्यवस्थान्तर्गत पृथक–पृथक धनराशि सी.ई.जी. के खाते में ट्रान्सफर की जायेगी। एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों द्वारा अग्रिम के रूप में जमा की गई धनराशि का समायोजन इन केन्द्रों पर प्रतिदिन प्रत्येक विभागीय सेवा के विरूद्ध प्राप्त होने वाली धनराशि के आधार पर उसमें से सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी एवं सी.ई.जी. के अंश की कुल धनराशि के आगणन के समतुल्य किया जायेगा।

(vi) एस.सी.ए. द्वारा सफलतापूर्वक सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से अग्रिम (प्रि–पेड) व्यवस्थान्तर्गत अपने से सम्बन्धित जन सेवा केन्द्रों पर प्रति दिन औसतन रूप में प्राप्त हो रही यूज़र चार्जेज़ की धनराशि के तीन दिनों के बराबर प्राप्त होने वाली धनराशि अर्थात रु. 1,10,000/– सी.ई.जी. के बैंक खाते में ट्रान्सफर करायी जायेगी। लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों द्वारा अग्रिम के रूप में यह धनराशि अपनी आवश्यकता/सुविधा अनुसार सी.ई.जी. के खाते में जमा की जायेगी। एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों के स्तर से उक्त अग्रिम धनराशि जमा किये जाने वाला ट्रान्जेक्शन एक ट्रान्जेक्शन कहलायेगा तथा इस प्रकार के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन पर जमा की जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त उनके खातों से ई–पेमेन्ट गेटवे के ट्रान्ज़ेक्शन चार्जेज़ काटे जायेंगे।

(vii) इस प्रक्रिया के अन्तर्गत एस.सी.ए. तथा लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों द्वारा अग्रिम के रूप में जमा की गई धनराशि का एक न्यूनतम बैलेन्स हो जाने की स्थिति में स्टेट पोर्टल/ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा सम्बन्धित को सी.ई.जी. के खाते को पुनः रिचार्ज करने हेतु स्वतः अवगत कराया जायेगा तथा किसी एक समय में उनके द्वारा सी.ई.जी. के खाते में जमा करायी गई धनराशि की अद्यतन स्थिति की जानकारी स्टेट पोर्टल/ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपने लॉग–इन क्रेडेन्शियल्स के माध्यम से ज्ञात की जा सकेगी। एस.सी.ए. की स्टेट पोर्टल/ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से समस्त

सुविधायें/कार्य करने की अनुमति रोक दी जायेंगी यदि उनके द्वारा सी.ई.जी. के खाते में अग्रिम के रूप में जमा की गई धनराशि रू. 10,000/– अथवा उससे कम हो जायेगी। लोकवाणी एवं जन सुविधा केन्द्र संचालकों की स्टेट पोर्टल/ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से समस्त सुविधायें/कार्य करने की अनुमति रोक दी जायेंगी यदि उनके द्वारा सी.ई.जी. के खाते में अग्रिम के रूप में जमा की गई धनराशि किसी सेवा के ट्रान्ज़ेक्शन के विरूद्ध सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी एवं सी.ई.जी. के अंश की कुल आगणित धनराशि से कम हो जायेगी।

(viii) एन.आई.सी. की एम.आई.एस. रिपोर्ट्स के आधार पर प्रत्येक माह में एक बार सी.ई.जी. के खाते में जमा हुई धनराशि में से समस्त जनपदों की डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी एवं सेवा सम्बन्धी विभागों की देय धनराशि से सम्बन्धित अंश को सी.ई.जी. द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त एस.बी.आई. की ई–पेमेन्ट सुविधा का उपयोग करते हुये सम्बन्धित स्टेकहोल्डर्स के बैंक खातों में एस. बी.आई. द्वारा ट्रान्सफर किया जायेगा।

(ix) उक्त के अतिरिक्त फण्ड ट्रान्सफर में यदि सेवाकर इत्यादि लागू होगा तो उसकी कटौती भी सम्बन्धित स्टेकहोल्डर के खाते में ट्रान्सफर की जा रही धनराशि से की जायेगी।

(x) प्रत्येक स्टेकहोल्डर द्वारा एन.आई.सी. की एम.आई.एस. रिपोर्ट्स के आधार पर अपने खाते में प्राप्त हो रही धनराशि का बैंक रिकन्सीलिएशन किया जायेगा।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्याः 503 (1)/78–2–2013तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान बिल्डिंग लखनऊ को इस आशय के साथ कि वह अपने स्तर से उपरोक्त बिन्दु सं.–2 (ii) के अनुसार विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बैंक खातों का विवरण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
2. मै. एस.आर.ई.आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेन्स लि., मै. सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि. एवं मै. वयम टैक्नोलोजीज़ लि. को इस आशय से कि वह बिन्दु सं.–2(v) एवं 2(vi) के अनुसार सी.ई. जी. के बैंक खाते में फण्ड ट्रान्सफर की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. उप महानिदेशक एवं एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ कि वह उपरोक्त बिन्दु सं.–2(iv) के अनुसार कार्यवाही करते हुये प्रत्येक सम्बन्धित स्टेकहोल्डर को पोर्टल पर लॉग–इन क्रेडेन्शियल्स प्रदान करने, इस शासनादेश को ई–मेल के माध्यम से समस्त जनपदों को प्रेषित करते हुये अपने ज़िला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम से ज़िलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने तथा जनपद स्तर पर समस्त सम्बन्धित स्टेकहोल्डर्स को अवगत कराने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव